COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परिपत्र सं. 1028/16/2016- सीएक्स

फा.सं. 21/1/2016-सीएक्स-1

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

****

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल, 2016

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर ;

सभी महानिदेशक, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर ;

सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर ;

वेबमास्टर, सीबीईसी

विषय: काल बुक के उन मामलों के निपटान से संबंधित स्पष्टीकरण जो न्यायालयों के द्वारा निर्णीत हो चुके हैं या बोर्ड ने उनके संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर दिया है।

महोदया/महोदय,

आपका ध्यान परिपत्र सं. 162/73/95-सीएक्स, दिनांक 14.12.1995, परिपत्र सं. 719/35/2003-सीएक्स, दिनांक 28.05.2003 और परिपत्र सं. 992/16/2014-सीएक्स, दिनांक 26.12.2014 की ओर दिलाया जाता है जिनमें बोर्ड ने मामलों की निम्नलिखित श्रेणियों को विनिर्दिष्ट किया है जिन्हें काल बुक में अंतरित किया जा सकता है, अर्थात-

i वे मामले जिनमें विभाग ने समुचित प्राधिकारी को अपील दायर की है,

ii वे मामले जिनमें उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीईजीएटी, इत्यादि द्वारा 'इंजंक्शन' जारी किए गए हैं,

iii वे मामले जो लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में विवादित है (दिनांक 08.04.2016 के परिपत्र सं. 1023/11/2016-सीएक्स के अंतर्गत निरस्त),

iv वे मामले जिनमें बोर्ड ने विनिर्दिष्ट रूप से इन्हें लंबित रखे जाने और काल बुक में इनकी प्रविष्टि किए जाने के आदेश दिया है,

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

v निपटान आयोग को संदर्भित मामले

2. फील्ड कार्यालयों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें उपर्युक्त (i), (ii) और (iv) के संबंध में काल बुक के मामलों के निपटान किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया है, जहां मामले पर माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया गया है और ऐसे मामले जहां पर माननीय उच्च न्यायालय ने मामले को अंतिम रूप दे दिया हो अथवा ऐसे मामले जहां बोर्ड ने उपर्युक्त खंड (iv) में दिए गए अनुदेश को जारी करने के पश्चात गुणावगुण के आधार पर स्पष्टीकरण जारी किया हो।

3. इस मामले की जांच-पड़ताल की गई है। एततद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले को काल बुक से बाहर रखा जाएगा और उनमें निम्नलिखित के संबंध में न्यायनिर्णय किया जाएगा:-

(i) जहां इसमें लिप्त मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया हो और माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के आदेश को अंतिम रूप दिया हो अथवा,

(ii) काल बुक में मामले के अंतरण के आदेश के जारी किए जाने के पश्चात इसमें लिप्त मुद्दे को स्पष्ट करते हुए बोर्ड ने नया अनुदेश अथवा परिपत्र जारी किया हो।

4. ऐसे मामले को काल बुक से बाहर रखने के लिए बोर्ड के किसी अलग से दिए जाने वाले निदेश की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए। यह स्पष्टीकरण केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और सेवाकर से जुड़े मामलों पर लागू होता है।

5. फील्ड कार्यालयों को तदनुसार सूचित किया जाए। इस परिपत्र को लागू करने में यदि कोई कठिनाई आए तो इसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

Smishra
26.04.16

(संतोष कुमार मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार